

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली - 110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/18/2017

दिनांक: 14 फरवरी, 2017

प्रेस नोट

विषय: स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन।

8 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से आन्ध्र प्रदेश की विधान परिषद के 9 सदस्यों और हैदराबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधान परिषद के 1 सदस्य का कार्यकाल नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दिनांक 29 मार्च, 2017 और 1 मई, 2017 को समाप्त होने वाला है:

आन्ध्र प्रदेश

निर्वाचन क्षेत्रों का नाम	सेवा निवृत्त होने वाले सदस्यों का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1. अनन्तपुर स्थानीय प्राधिकारी	1. मेट्टू गोविंदा रेड्डी	29.03.2017
2. कडापा स्थानीय प्राधिकारी	2. नारायण रेड्डी चाडीपीराला	29.03.2017
3. नेल्लोर स्थानीय प्राधिकारी	3. नारायण रेड्डी वाकाटी	01.05.2017
4. पश्चिम गोदावरी स्थानीय प्राधिकारी	4. अंगारा राममोहन	01.05.2017
	5. मेका शेशुबाबू	01.05.2017
5. पूर्व गोदावरी स्थानीय प्राधिकारी	6. बोड्डू भास्कर रामाराव	01.05.2017
6. श्रीकाकुलम स्थानीय प्राधिकारी	7. पेरूकटला विश्वा प्रसाद राव	01.05.2017
7. चित्तूर स्थानीय प्राधिकारी	8. श्री बी. नरेश कुमार रेड्डी	01.05.2017
8. कुरनूल स्थानीय प्राधिकारी	9. श्री शिल्पा चक्रपाणी रेड्डी	01.05.2017

तेलंगाना

निर्वाचन क्षेत्रों का नाम	सेवा निवृत्त होने वाले सदस्यों का नाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
हैदराबाद स्थानीय प्राधिकारी	सैयद अमीनुल हसन जाफरी	01.05.2017

2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इस प्रकार रिक्त हुई उपर्युक्त उल्लिखित 10 रिक्तियों को भरने के लिए स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचनों को आयोजित करने का निर्णय लिया है:-

क्रम. स.	कार्यक्रम का विषय	दिन एवं तारीखें
1.	अधिसूचना जारी करना	21 फरवरी, 2017 (मंगलवार)
2.	नाम-निर्देशन की अंतिम तारीख	28 फरवरी, 2017 (मंगलवार)
3.	नाम-निर्देशन की संवीक्षा	1 मार्च, 2017 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	3 मार्च, 2017 (शुक्रवार)
5.	मतदान की तारीख	17 मार्च, 2017 (शुक्रवार)
6.	मतदान का समय	पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक।

7.	मतगणना	20 मार्च, 2017 (सोमवार)
8.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन संपन्न हो जाएगा	24 मार्च, 2017 (शुक्रवार)

3. उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्रों वाले जिलों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक